न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /15 अपील अपील 1618-II-15

श्याम किशोर शुक्ला पुत्र ददन प्रसाद शुक्ला
निवासी ग्राम तिघरा तहसील सेमरिया
जिला रीवा मध्यप्रदेश ——— अपीलाण्ट

विरूद्ध

1— श्रीमती श्यामवती पुत्री स्व. हीरालाल
पत्नी श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय
निवासी ग्राम कपासा तहसील सेमरिया
जिला रीवा मध्यप्रदेश
श्री बी.बी. गंगेले
अनुविभागीय अधिकारी महोदय, सिरमौर
जिला रीवा मध्यप्रदेश ——— रिस्पान्डेट्स

श्री ... द्वारा आज दि. 22-6-15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अपील विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय, रीवा संभाग रीवा दिनांक 9—6—15 अन्तर्गत धारा 44 (1) मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 प्रकरण कमांक 89/अन्तरण/14—15

———

श्रीमान्

अपील का आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है :—

(1) यहकि अपर आयुक्त महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

(2) यहकि अपर आयुक्त महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवम् कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा ।

(3) यहकि अपर आयुक्त महोदय ने उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 29 मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता के आवेदन पत्र में अंकित आधारों पर समुचित विचार नहीं किया । उनके समक्ष प्रस्तुत अन्तरण के आवेदन पत्र के पद 2 लगायत 5 में उन परिस्थितियों एवम् आधारों का उल्लेख

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक A-1618-II/2015 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
5–5–2016	अपीलार्थी अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी। प्रत्यर्थी अभिभाषक श्री आर0एस0 सेंगर उपस्थित। प्रत्यर्थी अभिभाषक द्वारा तर्क में बताया कि अपीलार्थी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील सिमौर जिला रीवा से किसी अन्य प्राधिकारी को प्रकरण सुनवाई करने हेतु अंतरित हेतु आवेदन अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसे अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 9–6–15 के द्वारा खारिज किया गया था। अपर आयुक्त के इसी आदेश को इस न्यायालय में चुनौती दी गई है। अनुविभागीय अधिकारी की हैसीयत से कार्य कर रहे श्री भारत भूषण गंगेले का स्थानांतरण म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के आदेश दिनांक 01–11–14 से डिण्डोरी कर दिया गया है। अतः अब यह अपील निष्फल हो गयी है। दोनों अभिभाषकों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध आदेश एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। यह अपील निष्फल हो जाने से इसी स्तर पर निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख यथाशीघ्र वापस भिजवाया जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड दफ्तर हो। सदस्य	5/5/16